

प्रतिस्पर्धी बोली लगानेवालों के लिए फार्म

क्षेत्रीय निदेशक
लोक ऋण कार्यालय
भारतीय रिजर्व बैंक
मुंबई-400001

प्रिय महोदय,

**भारत सरकार -----@दिवसीय खजाना बिलों के लिए निविदा
नीलामी की तारीख-----**

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा -----@ दिवसीय खजाना बिलों की खरीद के लिए विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपके द्वारा आपके परिसर में -----को आयोजित की जानेवाली नीलामी में निम्नप्रकार निर्धारित है।

सदस्य का आईडी :	सदस्य का नाम :
क्या मूलधन है?----- (हाँ / नहीं)	यदि नहीं तो (घटक का नाम):
सांकेतिक मूल्य :-----करोड़ रुपए में	मूल्य:----- (प्रत्येक एक सौ रुपए में)
कुल खरीद मूल्य:----- (दशमलव के दो अंकों तक)	चालू खाता संख्या :

निविदादाता का नाम:-----
पता: ----- ----- -----
दूरभाष संख्या: -----

वे फार्म जिनमें खजाना बिल अपेक्षित हैं:
सहायक सामान्य बही खाता / स्क्रिप में जमा \$

वचनपत्र

मेरी/हमारी बोली को आपके द्वारा स्वीकार किए जाने पर मैं/हम सहमत हूँ/हैं/वचन देता हूँ/वचन देते हैं कि आपके कार्यालय से स्वीकृतिपत्र शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। मैं/हम यह वचन देता हूँ/देते

हैं कि अपेक्षित राशि भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को उसमें यथानिर्दिष्ट दिन/समय पर जमा कर दी जाएगी। मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं कि वह स्वीकृत बोली के प्रस्ताव मूल्य के समतुल्य मूल्य को हमारे चालू खाते में नामे डालें।

मैं/हमने सरकारी अधिसूचना संख्या----- दिनांक ----- को पढ़ लिया है और एतद्वारा यह वचन देता हूँ/देते हैं कि उसमें व्यक्त अपेक्षाओं का पालन करूँगा/करेंगे।

लोक ऋण कार्यालय (खज़ाना बिल के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

(पहला) हस्ताक्षर: पदनाम :	(दूसरा) हस्ताक्षर: पदनाम :
------------------------------	-------------------------------

जमा लेखा विभाग (चालू खाता) के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

(पहला) हस्ताक्षर: पदनाम :	(दूसरा) हस्ताक्षर: पदनाम :
------------------------------	-------------------------------

(बोली लगानेवाले/वालों के कार्यालय की मुहर)

@ भरी जानेवाली समुचित संख्या

\$ जो लागू नहीं हो उसे काट दें

टिप्पणी

- 1) यदि आवेदक का हस्ताक्षर अगूठे के निशान द्वारा किया गया है तो इसे दो व्यक्तियों द्वारा साक्षांकित किया जाए। गवाहों के हस्ताक्षर के सामने उनके पूरे नाम, पेशा और पते का उल्लेख किया जाए।
- 2) यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम में किया गया हो तो निम्नलिखित दस्तावेज़ यदि पहले से लोक ऋण कार्यालय में पंजीकृत नहीं हों, निवेश राशि के साथ लोक ऋण कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएं:-
 - (i) निगमन/पंजीयन प्रमाणपत्र मूल रूप में अथवा उसकी एक प्रतिलिपि जो उसे जारी करनेवाले प्राधिकारी द्वारा अपनी कार्यालय मुहर के साथ सच्ची प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो।
 - (ii) कंपनी/निकाय की नियमावली और विनियमावली/उपविधियों के बर्हिनियम और अंतर्नियमों की प्रमाणित प्रतियाँ।
 - (iii) कंपनी/निकाय की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों के पक्ष में उसके/उनके विधिवत् अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर (हस्ताक्षरों) के साथ संकल्प की प्रमाणित प्रति।